संख्या— / ।।/02)/2020—04(01)/2019

प्रेषक,

उदय राज सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग—02 देहरादून : दिनांक 07 दिसम्बर ~~नवम्बर~~, 2020

विषयः— वित्तीय वर्ष 2020—21 में अनुदान सं0—20 पूंजीलेखा के राज्य सैक्टर बांध/बैराज निर्माण एवं आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजना हेतु धनांवटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—2263/प्र0अ0/सि0वि0/बजट/बी0—1 (सामान्य) दिनांक 27.10.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर बांध/बैराज का निर्माण एवं आधुनीकीरण/पुनरोद्धार मद के अन्तर्गत जनपद नैनीताल/हल्द्वानी के गोला बैराज के क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्य की योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति के दृष्टिगत योजना के अवशेष कार्यों हेतु रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु शानादेश संख्या 530/।।/02)/2020—04(01)/2019 एवं निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।
(iv) अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण व व्यय में वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—292/9(150)—2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 में निर्धारित शर्तो के साथ—साथ बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 संशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय—समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
(v) जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।
(vi) प्रमुख अभियन्ता आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0—10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
(vii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः......2

(viii) कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ix) व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन कार्यो हेतु धनांवटन किया गया है वे कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हो।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक**– 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–18–बांध/बैराज का निर्माण/आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार–001–02–अन्य रखरखाव कार्य–01 बांध/बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण/नहर/नलकूल/जल टंकी पुनरोद्धार–53–वृहद निर्माण के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–880/09(150)/2019, XXVII(1)/2020, दिनांकः 21, अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–2023 (1)/II(2)/2020–04(01)/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कोलागढ रोड, देहरादून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजीत सिंह)
उप सचिव।